<u>मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् ने दिनांक 24 फरवरी, 2023 को कार्य से विरत रहने का आव्हान वापस लिया</u>

विदित रहे कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् ने अपनी कतिपय मांगो जिनमें अधिवक्ताओं की व्यवसायिक परेशानियों व उनकी सुरक्षा जैसे विषय है, को लेकर पूरे प्रदेश में दिनांक 24 फरवरी, 2023 को एक दिवसीय कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलिमठ से भेंट की ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद् के सदस्यों के साथ विचार विमर्श् कर समुचित हल निकालने का आश्वासन दिया है जिसके संबंध में राज्य अधिवक्ता परिषद् को भी सूचित किया गया ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह द्वारा कार्य से विरत रहने का आव्हान वापस लिया गया है और उन्होनें इस संबध में पत्र जारी किया है । प्रदेश के अधिवक्तागण न्यायालयों में उपस्थित हो रहें है ।